संख्या-2324(2)/सैंतीस-2-2018-5(2)/2018

प्रेषक,

डॉ0 सुधीर एम. बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक, ...स,
प्रशासन एवं, उ0प्र0, लखनऊ।

पशुपाल...

लखनऊ :: दिनाँक- 29 जून, 2018

पशुधन अनुभाग-2

विषय:- बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 07 जनपदों को छोड़कर प्रदेश के शेष 68 जनपदों में वृहद गो संरक्षण केन्द्रों की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वीकृत धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों के लिए कार्यदायी संस्था नामित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के पत्र संख्या-1071/सैंतीस-2-2018-30(113)/17टीसी, दिनांक-17.03.2018 द्वारा प्रदेश में छुट्टा गोवंश की गम्भीर समस्या के निराकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में बुन्देलखण्ड में 'गोवंश वन्य विहार' की स्थापना योजना के अन्तर्गत प्राविधानित रू0-9277.00 लाख की धनराशि के सापेक्ष 1000 गोवंश की क्षमता वाले विभिन्न 'गोवंश वन्य विहारों' की स्थापना/निर्माण कार्यों हेतु "उत्तर प्रदेश विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैकफेड)" को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। सम्यक विचरोपरान्त बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 07 जनपदों को छोड़कर प्रदेश के शेष 68 जनपदों में वृहद गो संरक्षण केन्द्रों की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वीकृत धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों के लिए भी एतद्द्वारा "उत्तर प्रदेश विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैकफेड)" को कार्यदायी संस्था नामित किया जाता है।

2- कृपया उक्तानुसार नामित कार्यदायी संस्था से प्रदेश के शेष 68 जनपदों में वृहद गो संरक्षण केन्द्रों की स्थापना हेतु विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार कराकर शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

भवदीय,

(डॉ0 सुधीर एम. बोबडे)
प्रमुख सचिव।

पृ0सं0-2324(3)/सैंतीस-2-2018- तद्दिनांक।

प्रतिलिपि प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैकफेड), लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(डा0 प्रहलाद बरनवाल)
अनु सचिव।

29/06/18